प्रतिलिपि आदेश दिनांक 12-8-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निगरानी 2276-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-6-14 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल निवाडी तहसील निवाडी जिला टीकमगढ़ प्र0क्र0 77/अ-12/13-14।

1- राजेश पुत्र किशोरी बसोर
2- गिड्डू पुत्र हनुमान बसोर
निवासी ग्राम वि0ख0 बिल्ट
पोस्ट जुगयाया तहसील निवाडी
जिला टीकमगढ़ म0प्र0 --- आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती जयन्ती पत्नी श्री नाथूराम कुशवाहा
निवासी ग्राम नामखेरा तहसील निवाडी
जिला टीकमगढ़ म0प्र0 --- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 2276 / तीन / 2014 जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

12.8.14

यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त निवाड़ी तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 77 अ 12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 18–6–14 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनावेदिका ने खसरा नंबर 643 एंव 827/1 ग्राम विल्ट का सीमांकन कराया है किंतु आवेदकगण को सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी, जबकि आवेदकगण गेढ़िया कास्तकार हैं किये गये सीमांकन से आवेदकगण की भूमि प्रभावित कर दी गई है। आवेदकगण एंव अनावेदक की भूमियों का नक्शे में तरमीम नहीं है जिसके कारण सीमांकन नहीं किया जा सकता और किसी भी पक्षकार की भूमि की सीमायें नहीं नापी जा सकती। उन्होंने राजस्व निरीक्षक के आदेश को एकपक्षीय बताते हुये निगरानी सुनवाई में लेने एंव स्थगन दिये जाने की मांग की।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 18–6–14 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से पाया गया कि आदेश में इस प्रकार अंकित किया गया है :–

"सीमांकन उपरांत दि. 11.6.14 को गिड्डू त0 खुमान बरार व्दारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। अतः आपत्ति निराकरण हेतु

दिनांक 18–6–14 मौके पर जाने हेतु नियत की गई। मौके पर दि0 18–6–14 को पटवारी हलका सहित पंहुचकर पुनः ख.नं. 643 की सीमाओं को सत्यापित किया। जो सीमांकन दि0 7–6–14 के अनुसार ही पाई गई। अतः आपत्तिकर्ता गिद्धु त. खुन, लम्पू त.खुमान वगैरह की आपत्ति निराधार है ।''

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदकगण को राजस्व निरीक्षक ने सुनवाई का समुचित अवसर दिया है एंव उनके व्दारा आपत्ति करने पर एकवार सीमांकन कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत भी आपत्तिकर्तागण (आवेदकगण) के समक्ष पुनः सीमांकन कार्यवाही की है।

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 129 – सीमांकन कार्यवाही का स्वरूप – सीमांकन दूसरे पक्षकार के समक्ष उसकी उपस्थित में किया गया – उपस्थित पक्षकार ने कार्यवाही पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया – तब यह नहीं माना जाएगा कि सीमांकन उसकी अनुपस्थिति में किया गया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने एंव सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य